पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2014 ई0 (कार्तिक 03, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–43

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	559–564	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	441–442	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

संशोधन

संख्या 606/XVII-5/14-29(सै0क0)/2002

प्रेषक,

डॉ रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 18 जुलाई, 2014 ई0

विषयः–सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली, 2002 में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक–संख्या–4003/सै0क0/सै0वि0गृह/नियमावली, दिनांक 28–02–2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–423–सै0क0–0–29(सै0क0)/2002, दिनांक 08 नवम्बर, 2002, संशोधित शासनादेश संख्या–226/XVII(1)/04-09 (सै0क0) 29/2002, दिनांक 28 सितम्बर, 2004, शासनादेश संख्या–326/XVII(2)/07-29 (सै0क0)/2002, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 एवं शासनादेश संख्या–33/XVII(2)/08-29(सै0क0)/2002, दिनांक 22 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या–255/XVII(2)/08-29(सै0क0)/2002, दिनांक 02–09–2008 द्वारा निर्गत "उत्तराखण्ड सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली, 2002" के खण्ड–2 प्रस्तर–1 (ख) में निम्न आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रम सं0	पैरा सन्दर्भ	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1.	खण्ड–2 प्रस्तर–1 (ख)	विश्राम गृह में कार्यरत सैनिक अधिकारी/सैनिक, पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त उपलब्धता की स्थिति में सामान्य पर्यटक भी अधिवास कर सकेंगे।	विश्राम गृह में सेवारत सैनिक अधिकारी/अन्य रैंक, पूर्व सैनिक, अर्द्ध सैनिक बलों के पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। उपलब्धता की स्थिति में सामान्य पर्यटक भी अधिवास कर सकेंगे।

आज्ञा से,

डॉ रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति

01 अगस्त, 2014 ई0

संख्या 3934/X-1-2014-04(24)/2009–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) की उप वन संरक्षक (चयन श्रेणी) वेतनमान में कार्यरत अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी जोशी (2000) को वन संरक्षक पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8900 के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

07 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 694/XIII(2)/2014-19(01)/2011–अधिसूचना संख्या 691/XIII(2)/2014-19(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (च) एवं धारा 17(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा मण्डी समिति, बाजपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर के सदस्य/अध्यक्ष नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2. उक्त के क्रम में जनहित में उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 23(2) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी (कलेक्टर), बाजपुर (ऊधमसिंह नगर) को उक्त समिति का प्रशासक इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है, कि अधिनियम की धारा 17 के अधीन नई समिति का गठन न हो जाए, वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो कि डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपसभापति और समितियों की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

अधिसूचना

07 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 695/XIII(2)/2014-19(01)/2011–अधिसूचना संख्या 685/XIII(2)/2014-19(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (च) एवं धारा 17(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा मण्डी समिति, रामनगर, जनपद–नैनीताल नगर के सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2. उक्त के क्रम में जनहित में उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 23(2) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी (कलेक्टर), रामनगर, जनपद–नैनीताल को उक्त समिति का प्रशासक इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि अधिनियम की धारा 17 के अधीन नई समिति का गठन न हो जाए, वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो कि डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपसभापति और समितियों की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–9

विज्ञप्ति/पदोन्नति

20 दिसम्बर, 2011 ई0

संख्या 777/XXVII(9)2011/स्टाम्प–54/2008–स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित उप–निबन्धक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर नियमित चयनोपरान्त पदोन्नति प्रदान करते हुये निम्नांकित स्थानों पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	प्रस्तावित तैनाती का स्थान
1.	श्री वीरेन्द्र लाल आर्या	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, नैनीताल
2.	श्री अजब सिंह चौहान	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरिद्वार

उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष विहित परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे, तथा उक्त पदोन्नति इस शर्त के साथ की जाती है कि मा0 न्यायालय के आदेश अथवा अन्तिम रूप से वरिष्ठ कार्मिकों उ0प्र0 राज्य से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में परिवर्तनीय/परिवर्द्धित होगी।

डा0 हेमलता ढ़ौडियाल,
सचिव।

पंचायती एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2

विज्ञप्ति/पदोन्नति

15 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 715/XII/2014-93 (26)/2004–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक अभियंता (सिविल) श्री अनिल कुमार को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करते हुए प्रखण्ड पौड़ी में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

3. उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–183/एस0बी0/2006 बी0एस0 नेगी बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0–278/एस0बी0/09 ललित मोहन बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0–183/एस0बी0/2009, ललित मोहन बनाम राज्य एवं अन्य में पारित अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।

4. पदोन्नत अभियंता उपरोक्तानुसार अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,

सी0 एम0 एस0 बिष्ट,
सचिव।

आवास विभाग

अधिसूचना

06 जून, 2014 ई0

संख्या–731/V-2-53(आ0)/2014–उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अधीन उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से निम्नानुसार राज्य प्राधिकरण का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जो उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कहलायेगा:–

1.	मा0 आवास मंत्री–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	उपाध्यक्ष
3.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि राज्य सरकार सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो–	मुख्य प्रशासक
4.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी, जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो–	अपर मुख्य प्रशासक
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	पदेन सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	पदेन सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	पदेन सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	पदेन सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	पदेन सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन–	पदेन सदस्य
11.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड–	पदेन सदस्य
12.	वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण–	पदेन सदस्य
13.	राज्य सरकार द्वारा नामित 02 गैरसरकारी सदस्य–	सदस्य

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

पंचायती एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2

विज्ञप्ति/पदोन्नति

15 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 747/XII/2014-93 (26)/2004–ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक अभियंता (सिविल) श्री मनीष कुमार मित्तल को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महादेय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

3. उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–183/एस0बी0/2006, बी0एस0 नेगी बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0–278/एस0बी0/09, ललित मोहन बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0–183/एस0बी0/2009, ललित मोहन बनाम राज्य एवं अन्य में पारित अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।

4. पदोन्नत अभियन्ता के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

सी0 एम0 एस0 बिष्ट,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/638–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2014 ई0 (कार्तिक 03, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 06, 2014

No. 240 UHC/XIV/69/Admin.A/2003--Smt. Rama Pandey, Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 18 days *w.e.f.* 25-07-2014 to 11-08-2014.

NOTIFICATION

September 06, 2014

No. 241 UHC/XIV/42/Admin.A/2011--Sri Rahul Garg, the 5th Additional District & Sessions Judge, Hardwar, presently posted as 2nd Additonal District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 29-04-2014 to 09-05-2014 with permission to suffix 10-05-2014 & 11-05-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

September 06, 2014

No. 242 UHC/XIV/84/Admin.A/2003--Sri Sujeet Kumar, Chief Judicial Magistrate, Hardwar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 12-08-2014 to 26-08-2014 in terms of G.O. No. 819/xxvii(7)34/2010-11 dated 31-12-2013 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

September 09, 2014

No. 243 UHC/XIV/45/Admin.A--Sri Rajendra Singh, District Judge, Uttarkashi is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 23-08-2014 to 29-08-2014.

NOTIFICATION

September 09, 2014

No. 244 UHC/XIV/11/Admin.A/2008--Sri Ritesh Kumar Srivastava, the then Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh, District Dehradun, presently posted as Civil Judge (Sr. Div.) Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 11 days *w.e.f.* 17-04-2014 to 27-04-2014.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/638–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।